राजस्थान वित्त निगम
(एआरआरसी)

उद्योग भवन,
तिलक मार्ग,
जयपुर-302005

क्रमांक:आरएफसी/एआरआरसी/सामान्य-77/2002-03/1322 दि. 6 सितम्बर,2003

परिपत्र

(एआरआरसी परिपत्र सं. 74)

विषय : 70:30 नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में ।

...

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 5.4.2002 के तहत वित्त निगम द्वारा अधिगृहीत इकाईयों की परिसम्पत्तियों के बेचान से प्राप्त शुद्ध राशि को वित्त निगम एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य वितरित किये जाने का प्रावधान किया गया था ताकि परिसम्पत्तियों के क्रेता को राज्य सरकार से संबंधित विभागों की मूल श्रेणी में बकाया राशि का भुगतान नहीं करना पड़े । तत्पश्चात्, निगम द्वारा पीजी परिपत्र सं. 976 (एआरआरसी नं. 50), दिनांक 26.7.2002, पीजी परिपत्र सं. 999 (एआरआरसी नं. 61), दिनांक 6.3.2003 तथा एआरआरसी परिपत्र नं. 71, दिनांक 16.6.2003 जारी किये गये ।

राज्य सरकार के आदेश सं. एफ. 4(10)एफडी/टैक्स/डिवीजन/2002 दिनांक 30.08.2003 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि वित्त निगम से वित्त पोषित इकाईयों का कब्जा राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार से संबंधित किसी एजेन्सी ने ले रखा है तो वे विभाग इकाई की परिसम्पत्तियों को वित्त निगम को विक्रय हेतु तुरन्त सुपुर्द करेंगे और परिसम्पत्तियों की सुपुर्दगी लेने के पश्चात् वित्त निगम इकाई की परिसम्पत्तियों को विक्रय कर राज्य सरकार से संबंधित विभागों को 70:30 की नीति के तहत योग्य राशि का भुगतान करेगा । आदेश दिनांक 30.8.2003 की छायाप्रति संलग्न है ।

समस्त शाखा प्रबंधक तथा उप महाप्रबंधक (क्षेत्रीय) को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उक्त आदेश की अनुपालना के लिए अविलम्ब कार्यवाही करेंगे और निगम से वित्त पोषित उन इकाईयों की सूची तैयार करेंगे जिनका अधिग्रहण परिवहन विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, डिस्कॉम आदि-आदि ने ले रखा है तथा वे उन संबंधित विभागों को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.8.2003 के तहत सम्पर्क करेंगे ताकि राज्य सरकार से संबंधित विभागों द्वारा अधिगृहीत निगम की वित्त पोषित इकाईयों का कब्जा संबंधित शाखा कार्यालय अविलम्ब ले सके तथा विक्रय की कार्यवाही कर सके। इस सम्बन्ध में तैयार की गई सूची की एक प्रति उप महाप्रबंधक (एआरआरसी), मुख्यालय को पूर्ण विवरण के साथ दिनांक 20 सितम्बर, 2003 तक प्रेषित करना भी सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न-उपर्युक्तानुसार।

(जे. पी. विमल)
अधिशाषी निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. समस्त क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय/उप शाखा कार्यालय, राजस्थान वित्त निगम।
2. उप महाप्रबंधक (एण्डआई), अजमेर।
3. मुख्यालय में स्टेण्डर्ड सर्कुलेशन।

GOVERNMET OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NO.:F.4(10)FD/Tax-Div./2002 Jaipur, Dated: 30-8-200?

DGM(AMC)

SEP 2003

4/9/03

# ORDER

Orders were issued regarding apportionment of sales proceeds received from the auction of the units under the possession of RFC/RIICO vide order No.F.4 (10) FD /Tax-Div./2002 dated 5.4.2002. The basic objective of issuing this order was early realization of dues and to revive the non-functional units.

It is being seen that various department like Transport, Commercial Taxes and DISCOMs are attaching assets of various units but are not able to sell them off quickly. As a result, neither the dues get realized nor does it help in reviving the non-functional units.

It is, therefore, ordered that in case of RIICO or RFC financed units, where assets of such units has been attached by any department /agency of the State Government such assets/units shall be handed over to RIICO/RFC for disposal at the earliest.

RIICO/RFC shall arrange for sale and disbursement of dues of the Government as per existing orders. Industries Department shall coordinate hand over disposal and timely apportionment of proceeds of sale of such assets.

By order

Sd/-
(K.C.Gupta)
OSD, Finance (Tax)

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal Secretary to Govt., Industries Deptt.
2. Secretary to Government, Transport Deptt.
3. CMD, RIICO, Udyog Bhawan, Jaipur.
4. CMD, RRVUN Ltd./ RRVPN Ltd., Jaipur/ Jaipur, Jodhpur & Ajmer DISCOMs Ltd.
5. CMD, Raj. Financial Corporation, Udyog Bhawan, Jaipiur.
6. Commissioner, Commercial Taxes, Jaipur.
7. Commissioner, Industries Department, Raj., Jaipur.
8. Commissioner, Excise Department, Raj., Udaipur.
9. Director, Land & Building Tax Department, Jaipur.
10. Guard file.

30/8/03

Assistant Secretary to Govt.